क्रम संख्या–200

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 26, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 337 / XXXVI(3) / 2015 / 60(1) / 2015

देहरादून, 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 2015'** पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 24 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2015

(अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2015)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2015" है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

धारा 2 (य) का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में नीचे स्तंभ–1 में दी गयी वर्तमान धारा 2 के खण्ड (य) के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी ; अर्थात्

2(य) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति (जिसके अंतर्गत शिक्षु भी आता है) अभिप्रेत है, जो किसी उद्योग में भाड़े या ईनाम के लिये कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षणिक या **विक्रय संवर्धन हेतु किसी कार्य के लिए, तकनीकी, विक्रय संवर्धन या संक्रियात्मक** या लिपिकीय कार्य करने के लिये नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हो या विवक्षित, और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस विवाद के संबंध में या उनके परिणामस्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिया गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है अथवा जिसकी पदच्युति, उन्मोचन या छंटनी किए जाने से वह विवाद पैदा हुआ हो, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है, जो :

(एक) सेना अधिनियम, 1950 या वायु सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934 के अधीन हो; अथवा

(दो) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो; अथवा

(तीन) मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो; अथवा

(चार) पर्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमास दस हजार रूपये से अधिक मजदूरी लेता हो अथवा पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता है जो मुख्यतः प्रबंधकीय प्रकृति के हैं।

धारा 2–क का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2–क को उसकी उप धारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित करते हुये उप धारा (1) के बाद उप धारा (2) एवं (3) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:–

"(2) धारा 4–ट में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मकार जैसा कि उप धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट है, संराधन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पैतालीस दिन की समाप्ति के उपरांत सीधे श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के समक्ष प्रार्थना–पत्र से संबंधित औद्योगिक विवाद को अभिनिर्णय हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है एवं ऐसा प्रार्थना–पत्र प्राप्त करने पर श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण में विवाद को अभिनिर्णीत करने की शक्तियाँ एवं अधिकारिता निहित होंगी जैसे मानो यहाँ विवाद सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संदर्भित किया गया हो एवं ऐसे अभिनिर्णय में अधिनियम के वह समस्त प्रावधान लागू होंगे जैसे वे सरकार द्वारा संदर्भित औद्योगिक विवाद में लागू होते हैं।

(3) उप धारा (2) में संदर्भित प्रार्थना–पत्र उप धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा पर्यवसान की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।"

धारा 4–ड शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना

4. मूल अधिनियम की धारा 4 ठ के पश्चात 4 ड के रूप में नयी धारा अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"4–ड (1) ऐसे प्रत्येक औद्योगिक स्थापन में जिसमें बीस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, व्यष्टिक शिकायतों से उद्भूत होने वाले विवादों के हल के लिए एक या अधिक शिकायत प्रतितोषण समिति होगी।

(2) शिकायत प्रतितोषण समिति नियोजक और कर्मकारों से बराबर संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(3) शिकायत प्रतितोषण समिति के अध्यक्ष का चयन नियोजक से और कर्मकारों में से आनुकल्पिक रूप में प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में किया जायेगा।

(4) शिकायत प्रतितोषण समिति के सदस्यों की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह कि यदि शिकायत प्रतितोषण समिति में दो सदस्य हैं तो यथासाध्य एक महिला सदस्य होगी और यदि सदस्यों की संख्या दो से अधिक है तो महिला सदस्यों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, शिकायत प्रतितोषण समिति के गठन से कर्मकार के उसी विषय के संबंध में औद्योगिक विवाद को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उठाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(6) शिकायत प्रतितोषण समिति अपनी कार्यवाहियों को व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर तीस दिन के भीतर पूरा कर सकेगी।

(7) ऐसा कर्मकार जो शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चत से व्यथित है, शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चय के विरूद्ध नियोजक को अपील कर सकेगा और नियोजक, ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, उसका निपटारा करेगा और संबंधित कर्मकार को अपने विनिश्चय की एक प्रति भेजेगा।"

धारा 5 में संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 5(ग) में उपधारा (3) के पश्चात् उपधाराएं (4) एवं (5) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्:–

"(4) श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचाट, जारी आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(5) यथास्थिति, श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण किसी पंचाट, आदेश या समझौते को अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचाट, आदेश या समझौते का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह उसके द्वारा पारित की गई डिक्री हो।"

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।